(234) (110)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प– रीवा, संभाग रीवा (म.प्र.)

प्र. क्रमांक R.1913-I/12

1. चूड़ामणि पिता गजाधर बढ़ई

2. फूलचन्द्र पिता गजाधर बढ़ई

3. हरिश्चन्द्र पिता गजाधर बढ़ई सभी निवासी ग्राम बहेरी, तह. चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

R-1913-I/12

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1.बसंतलाल पिता गजाधर बढ़ई निवासी ग्राम बहेरी, तह. चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

2. म.प्र.शासन

.... उत्तरवादीगण

अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा
द्वारा ...
रीवा, दि० 14-5-2012

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 14.03.12 जो राजस्व प्रकरण क्र.329/निग./10–11 को माननीय कले0महो0 सिगरौली द्वारा पारित किया गया।

अपील अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

संक्षिप्त आधार

गैरनिगरानीकर्ता द्वारा विवादित आराजी स्थित ग्राम बहेरी, तह. चितरंगी, जिला सिंगरौली आराजी नं. 642 रकवा 1.62 हे. के सीमांकन हेतु नायब तहसीलदार तह. चितरंगी वृत्त कोरावल के नयायालय में सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया। निगरानीकर्ता द्वारा विवादित आराजी के संबंध में उक्त नयायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय तहसीलदार महोदय ने निगरानीकर्ता के आपत्ति का निराकरण न करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया,जिसकी निगरानी निगरानीकर्तागणों ने माननीय कलेक्टर महोदय सिंगरौली के न्यायालय में प्रस्तुत की, निगरानी के साथ धारा 5 म्यादि अधिनियम

(110)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R.1913-I/12 जिला– सिंगरौली

चूड़ामणि बढ़ई विरूद्ध बसन्त लाल बढ़ई

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	1. आवेदक की ओर से श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अपर कलेक्टर~~, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 329/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 14.03.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.3.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

आलोच्य आदेश पारित किया,जिसकी निगरानी निगरानीकर्तागणों ने माननीय कलेक्टर महोदय सिंगरौली के न्यायालय में प्रस्तुत की, निगरानी के साथ धारा 5 म्यादि अधिनियम